

## High Court, Lucknow

### Auction Notice

Be it known to all that applications are invited from the aspirants/willing persons for auction of waste/weeded papers, lying in the premises of Hon'ble High Court, Gomti Nagar, Lucknow, near the staircase adjacent to Hall No.10 (Record Room).

Auction process will be held on **30.03.2020 (Monday) at 02:30 P.M. in the 'M' Block of Hon'ble High Court, Gomti Nagar, Lucknow**. It will be the responsibility of the successful bidder to cut the waste/weeded papers, lying in the premises of Hon'ble High Court, near the staircase adjacent to Hall No.10 (Record Room and also at other places), by the automatic paper cutting machine and then to carry the same out side the Hon'ble High Court premises. The automatic paper cutting machine will be arranged by the successful bidder itself. All the terms & conditions relating to the aforesaid Auction are attached with the Application Form, which can be obtained by the aspirants/willing persons from the prescribed Counter situated in the 'Pass Section' (near Gate No.6) of Hon'ble High Court on any working day between 17.03.2020 to 21.03.2020 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M. on cash payment of Rs.100.00. The duly filled Application Forms may be deposited at the prescribed Counter situated in the 'Pass Section' (near Gate No.6) of Hon'ble High Court upto 26.03.2020 from 02.00 P.M. to 04.00 P.M.

The terms & conditions of the Auction are also available on the official website of Hon'ble Allahabad High Court i.e. "[www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in)" which can be downloaded. However, the applicants are required to submit compulsorily a demand draft of Rs.100.00 (Application Form Fee) in favour of "**The Senior Registrar, High Court, Lucknow**" alongwith the downloaded application form.

The Senior Registrar, High Court, Lucknow has the right to decline any bid without assigning any reason.

Sd/-

**Senior Registrar**  
High Court, Lucknow

## उच्च न्यायालय, लखनऊ

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ** में परिसर के अन्दर हाल संख्या 10 (रिकार्ड रूम) के बगल में सीढ़ी के पास पड़े हुये बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**नीलामी** की प्रक्रिया दिनांक **30.03.2020 (सोमवार)** को दोपहर **2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लॉक परिसर** में आयोजित की जायेगी। नीलामी में सफल व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर हाल संख्या 10 (रिकार्ड रूम) के बगल में सीढ़ी के पास पड़े हुये बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को पहले स्वचालित पेपर कटिंग मशीन द्वारा काटेगा, तत्पश्चात् उसे माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर ले जाने की स्वयं व्यवस्था करेगा। उपरोक्त कागज को काटने के लिये स्वचालित पेपर कटिंग मशीन की व्यवस्था बोली में सफल व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' (गेट न0. 6 के पास) में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **17.03.2020 से दिनांक 21.03.2020 दोपहर 02.00 बजे से सायं 04.00 बजे** तक रुपये 100/- का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक **26.03.2020 तक दोपहर 02.00 बजे से शाम 04.00 बजे** तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' (गेट न0. 6 के पास) में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ, के नाम रुपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकते हैं।

Sd/-

**वरिष्ठ निबन्धक**

उच्च न्यायालय, लखनऊ।

## आवेदन पत्र

उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ  
में बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की  
नीलामी के हेतु आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता  
का  
स्वप्रमाणित  
फोटोग्राफ

1. आवेदनकर्ता का नाम : \_\_\_\_\_
2. पिता/पति का नाम : \_\_\_\_\_
3. लिंग : \_\_\_\_\_
4. उम्र : \_\_\_\_\_
5. पता : \_\_\_\_\_
6. मोबाइल नम्बर : \_\_\_\_\_
7. राष्ट्रियता : \_\_\_\_\_
8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से : \_\_\_\_\_  
डाउन लोड किया गया है तो
- डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले  
बैंक का नाम \_\_\_\_\_
- डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम \_\_\_\_\_
- डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या \_\_\_\_\_
- डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि \_\_\_\_\_

मैंने बोली के सभी नियम व शर्तों को पढ़ लिया है तथा बोली के सभी नियम व शर्तें मुझे मंजूर हैं।

दिनांक :  
संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

- नोट :** (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।  
(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 26.03.2020 तक है।

## कार्यालय वरिष्ठ निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ

### नीलामी सूचना

विषय	:	बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की नीलामी हेतु
नीलामी की तिथि	:	30.03.2020 (सोमवार), समय : दोपहर 2:30 बजे।
स्थान	:	'एम' ब्लॉक, माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।

### नीलामी की शर्तें

1. बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज, जो कि 'जहां है जैसी है' की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर हाल संख्या 10 (रिकार्ड रूम) के बगल में सीढ़ी के पास उपलब्ध है, नीलाम किया जाना है।
2. बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को काटे जाने से पूर्व प्रतिदिन उसका भार कोर्ट ऑफिसर (नजारत) की देख रेख में नापा जायेगा तथा उसी भार के अनुसार नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा उसका मूल्य माननीय उच्च न्यायालय को देय होगा।
3. नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी की तिथि से 10 दिन के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर निर्धारित स्थान पर बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की कटिंग करके उसे निर्धारित स्थान से हटाना होगा।
4. नीलामी में सफल व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर हाल संख्या 10 (रिकार्ड रूम) के बगल में सीढ़ी के पास एवं अन्य स्थानों पर पड़े हुये बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को पहले स्वचालित पेपर कटिंग मशीन द्वारा काटेगा तथा बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर ले जाने की स्वयं व्यवस्था करेगा। उपरोक्त कागज को काटने के लिये माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर स्वचालित पेपर कटिंग मशीन की व्यवस्था बोली में सफल व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। भारोत्तोलन मशीन की व्यवस्था भी बोली में सफल व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय परिसर से उपरोक्त कागज को बाहर ले जाने का कार्य कोर्ट आफिसर (नजारत) की देख-रेख में किया जायेगा।

**कमशः ...**

5. बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम राशि ₹0 10,000.00 (रूपये दस हजार)** नकद जमा करना होगा, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम राशि उसके द्वारा सिक्युरिटी डिपोजिट के रूप से जमा की जाने वाली राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
6. बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य ₹0 935.00 (रूपये नौ सौ पैतीस) प्रति कुण्टल** हैं।
7. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे **सिक्युरिटी डिपोजिट** के रूप में **रूपये 30,000.00 (रूपये तीस हजार)** (अग्रिम जमा धनराशि सम्मिलित करते हुये) बोली की तिथि के 3 दिन के अन्दर जमा करना होगा। यह सिक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के पास काम पूरा होने तक जमा रहेगी तथा इस सिक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि की वापिसी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समस्त कार्य पूरा होने के उपरान्त ही निर्णय लिया जायेगा।
8. यदि अन्तिम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा उपरोक्त सिक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि 3 दिन के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमा की गयी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित कार्य करने के लिये आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों का पालन किया जायेगा।
9. नीलामी में सफल व्यक्ति द्वारा शर्त नम्बर 3 के अनुसार नीलामी की तिथि से 10 दिन के अन्दर समस्त बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को तोल कर, प्रतिदिन के वजन के अनुसार, (जिसका सत्यापन कोर्ट ऑफीसर 'नजारत' के द्वारा किया जायेगा), उसका मूल्य न्यायालय में कैश विभाग में जमा करना होगा। उक्त निर्धारित मूल्य जमा करने के पश्चात ही उसे कटे हुये बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ायी जाती है तो नीलामी में सफल व्यक्ति को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज की कटिंग करके उसे निर्धारित स्थान से हटाना होगा तथा उसका मूल्य न्यायालय में कैश विभाग में जमा करना होगा। उक्त निर्धारित मूल्य जमा करने के पश्चात ही उसे कटे हुये बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

**कमशः ...**

10. कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।
11. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन-पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में **दिनांक 17.03.2020 से दिनांक 21.03.2020 तक दोपहर 02.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है** तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को **दिनांक 26.03.2020 तक दोपहर 02.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक** माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।
12. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
13. नीलाम होने वाली बेकार / रद्दी व अनुपयोगी कागज को **दिनांक 27.03.2020** (मात्र 01 दिन) को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास बनवाकर कोर्ट आफिसर (श्री राजेन्द्र प्रसाद, मोबाइल नम्बर 8004905781) की अनुमति प्राप्त कर, उनके अथवा नजारत के किसी कर्मचारी के साथ, माननीय उच्च न्यायालय परिसर के अन्दर हाल संख्या 10 (रिकार्ड रूम) के बगल में सीढ़ी के पास दोपहर 2.00 बजे से 4.00 तक देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त कागजों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
14. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति आपस में बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की साठ्-गाठ् नहीं करेंगे। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बोली के सम्बन्ध में आपस में किसी प्रकार की साठ्-गाठ् की गयी है तो नीलामी कमेटी को अधिकार होगा कि वह नीलामी प्रक्रिया को तुरन्त रोक दें।
15. नीलामी में सफल व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति तभी दी जायेगी जबकि उसने सिक्युरिटी डिपोजिट की धनराशि **रु० 30,000.00 (रूपये तीस हजार)** माननीय उच्च न्यायालय में नियत समय पर जमा कर दिया हो।
16. बोली में भाग लेने से पूर्व बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को यह लिखित में देना होगा कि बोली के सभी नियम व शर्तें उसे स्वीकार हैं।

**कमशः ...**

17. बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली वाले दिन दोपहर 02:15 बजे तक उच्च न्यायालय के गेट नम्बर-6 पर तैनात सुरक्षा कर्मी को अपना पहचानपत्र दिखाकर दोपहर 2:30 बजे तक नीलामी कक्ष में प्रवेश करना होगा। दोपहर 2:30 बजे के उपरान्त नीलामी कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
18. बोली में भाग लेने से पूर्व बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन पास ऑफिस में जमा करना होगा।
19. बेकार/रद्दी व अनुपयोगी कागज को काटने व निस्तारित करने के लिये नियुक्त व्यक्ति को निर्धारित गेट पास बनवाने के पश्चात् ही माननीय उच्च न्यायालय परिसर में आने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
20. सफल बोलीकर्ता द्वारा बोली की तिथि से 15 दिन के अन्दर उपरोक्त निर्धारित कार्य पूरा किया जाना होगा अन्यथा उसकी सेक्योरिटी डिपॉजिट जब्त की जा सकती है।
21. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।

Sd/-

**वरिष्ठ निबन्धक**

उच्च न्यायालय, लखनऊ।